# ...लय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...ख्या : 145 / 2018

1. शंभूदयाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति धाकड निवासी भटेडिया तहसील मांगरोल जिला बारां
2. गोविन्द पुत्र श्री जगन्नाथ जाति धाकड निवासी भटेडिया तहसील मांगरोल जिला बारां
3. बादाम बाई पत्नि स्व0 जगन्नाथ जाति धाकड निवासी भटेडिया तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. रमेशचंन्द्र पुत्र श्री हीरालाल जाति धाकड निवासी भटेडिया तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री कर्मवीर शर्मा
वकील प्रतिवादी कम 1 : श्री अवधेश गौतम — निर्णय दिनांक : 16.01.2019
दायरा दिनांक: 20.12.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 127 खसरा नं0 282 रकबा 1.01 है0, खसरा नं0 300 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 301 रकबा 0.73 है0, खसरा नं0 382 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 433 / 457 रकबा 0.66 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.25 है0 वाके ग्राम भटेडिया तहसील मांगरोल में स्थित है जो वर्तमान में वादीगण के खाते में बतौर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी में खसरा नं0 282 रकबा 1.01 है0 आराजी विवादित है। इसी प्रकार वर्तमान आराजी खाता संख्या 94 खसरा नं0 135 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 282 / 456 रकबा 0.91 है0 कुल किता 2 रकबा 0.92 है0 आराजी वाके ग्राम भटेडिया तह0 मांगरोल में स्थित है। जो प्रतिवादी कम 1 के बतौर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। जिसमें से आराजी खसरा नं0 282 / 456 रकबा 0.91 है0 विवादित आराजी है। उक्त दोनो विवादित आराजी का पूर्व में एक ही नम्बर था जो विभाजन होने पर पृथक–पृथक नम्बर कायम किये गये लेकिन राजस्व रेकार्ड अंकन के दौरान जिस हिस्से पर वादीगण काबिज काश्त थे वह आराजी प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज कर दी तथा जिस आराजी पर प्रतिवादी कम 1 काबिज काश्त वह आराजी वादीगण के खाते दर्ज कर दी गई इस प्रकार मौके पर वादीगण एक दूसरे के खाते दर्ज आराजी को काश्त कर रहे है। वादीगण के नाम विवादित आराजी खसरा नं0 282 रकबा 1.01 है0 जिसको प्रतिवादी कम 1 काश्त कर रहा है तथा प्रतिवादी कम 1 के नाम दर्ज आराजी खसरा नं0 282 / 456 रकबा

...ने वादीगण काश्त कर रहे है जिसको कब्जे अनुसार वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने के ... अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की ...ित की जावें कि ग्राम भटेडिया तहसील मांगरोल में स्थित आराजी खसरा नं0 282/456 रकबा 0. ... जो प्रतिवादी कम 1 के नाम दर्ज है उसको वादीगण के खाते दर्ज किया जावें तथा आराजी खसरा 282 रकबा 1.01 है0 जो वादीगण के नाम दर्ज है उसमें से रकबा 0.91 है0 आराजी प्रतिवादी कम 1 के नाम दर्ज की जावें तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु प्रतिवादी कम 2 को आदेश दिया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 20.12.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी कम 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अवधेश गौतम ने वकालत नामा प्रस्तुत कर इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया। इकबालिया जवाब दावा में प्रतिवादी कम 1 ने वाद पत्र की समस्त मदो को स्वीकार किया है। जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संबंध में दिनांक 16.01.2019 को बहस फाईनल वकील वादी व प्रतिवादी कम 1 सुनी गयी। वकील वादीगण द्वारा अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया गया जिनका उनके द्वारा अपने वादपत्र में अंकन किया गया है। अतः मुताबिक वाद पत्र, सुनी गयी बहस व प्रतिवादी कम 1 की ओर से प्रस्तुत इकबालिया जवाब की रोशनी में वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि ग्राम भटेडिया तहसील मांगरोल में स्थित आराजी खसरा नं0 282/456 रकबा 0.91 है0 जो प्रतिवादी कम 1 रमेशचंन्द्र पुत्र श्री हीरालाल जाति धाकड निवासी भटेडिया के नाम दर्ज है उसको वादीगण के खाते दर्ज किया जावें तथा आराजी खसरा नं0 282 रकबा 1.01 है0 जो वादीगण के नाम दर्ज है उसमें से रकबा 0.91 है0 आराजी प्रतिवादी कम 1 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सु